नक्शा नम्बर

अदम पाकील

PV

प्रतिवादी का सही पता हेतु T.D.R. को लिखा गया

T.D.R. रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी की जानकारी नहीं हुई है

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/18

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
177	12/2024	23.1.2024	Date 6/2/25 निर्णय मेहै	31.1.24 7.2.24 12.2.24 27/8/24 30/9/24 23/10/24 19/11/24 3/12/2… 19/12/24 7/1/2… 30/1… 6/2/25

अनवान

श्री राज सरकार

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री पैरोकार सरकार

श्री रमेशकुमार अग्रवाल

निवासी केशोराय पाटन, बून्दी

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडें…

मदयून

श्री Ex-Parte

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राजस्थान सरकार बनाम रमेश कुमार

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 12 सन 202

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी हु...
23/1/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 31/1/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
31/1/24	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 7/2/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7/2/24	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 12/2/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/2/24	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 26/2/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26/2/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्री... दौरे पर है। प्रा...ली दिनांक 4/3/24 को वास्ते तलबी पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
4/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर है। प्राआवली दिनांक 9/4/24 को वास्त तलबी पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	

पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 7/5/24 को वास्ते तामील पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 28/5/24 को वास्ते तामील पेश हो।

रजि. डाक से तामील भेजी गई।

उप खण्ड अधिकारी

...24 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 11/6/24 को वास्ते ता. देखो पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 25/1/24 को वास्ते ता. देखो पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

.../6/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 9/7/24 को वास्ते ता. देखो पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

.../24 पत्रावली पेश हुई विपक्षी को रजि. डाक से तामील भेजी गई। रजि डाक अपर्याप्त पते के कारण तामील नहीं हो पाया। तहसीलदार ~~[illegible]~~ बिजौलियां को पूर्ण पते के लिए पत्र जारी हो। पत्रावली आगामी दिनांक 27/8/24 को पेश हो।

27/8/24 पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया से तामील (पता) जानकारी अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इंतजार (address) आगामी दिनांक 30/9/24 को पेश हो।

30/9/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 23/10/24 को वास्ते ता. देखो पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

राज सरकार बनाम रमेश

किस्म मुकदमा धारा 177 RTA प्रकरण संख्या 12/24

SCMS नम्बर:– 2024/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3-10-24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 19-11-24 को वास्ते A/o/c पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
3/12/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 17/12/24 को वास्ते A/o/c पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
17/12/24	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी को रजि डाक से तामील भेजी गयी पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 07/1/25 को पेश हो [illegible]	
7/1/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 30/1/25 को वास्ते A/o/c पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
30/1/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। विपक्षी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 06/02/25	

ख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए
	को पेश हो उप खण्ड... बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
/25	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली में तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ तहरीर जारी होकर पत्रावली का फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

राजस्थान सरकार

...यालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

...दपत्र संख्या 12/2024

दायर तारीख 23.01.2024

अनवान्

1. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

01.रमेशकुमार पुत्र गोवर्धनलाल जाति अग्रवाल निवासी केशोराय पाटन जिला बन्दूी

........प्रतिवादी

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता वादी
2. एक पक्षीय कार्यवाही – अधिवक्ता प्रतिवादी ।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 06/02/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार बिजौलियां ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम नयानगर पटवार मण्डल नयानगर भू.अ.नि.क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 194 में अंकित खसरा नम्बर 1225/125 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ कुल खसरे 01 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित 1225/125 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ कुल खसरे 01 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर भूमि पर अवैध खनन कार्य का मलबा/रलाव पड़ा हुआ है। खसरे पर पत्थर व मलबा डालकर अन्य प्रयोजनार्थ/अकृषी उपयोग किया जा रहा है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि कृर्षि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर अवैध खनन कार्य किया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस अपूर्ण पते के कारण अदम तामील में प्राप्त हुए। तत्पश्चात् तहसीलदार बिजौलियां को पूर्ण पत्ते के लिए तहरीर जारी की गई, जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी को पुनः रजि डाक से तामील भेजी

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

Track on www.indiapost.gov.in
Dial 18002666868 Wear Masks, Stay Safe

गई जिसकी रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। किया। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित रहा । विपक्षी को 03 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी की और से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली को एक पक्षीय आदेश के बाद साक्ष्यवादी में रखा गया जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य/वाद पत्र में तहसीलदार बिजौलियां ने भू.अभि. नि.क्षेत्र सलावटिया द्वारा उक्त खसरे का प्रमाणित मौका पर्चा, जमाबंदी नकल आधार संवत 2076–2079, नक्शा ट्रेस, गुगल मैप इमेज, जी.पी.एस फौटो ग्राफ पेश की जो शामिल पत्रावली है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई एवं साक्ष्य/दस्तावजों का अध्ययन/मनन किया गया । विपक्षी की और से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ना ही कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ पत्रावली में आदेश दिए जाते हैं किः–

–ः आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम नयानगर पटवार मण्डल नयानगर भू.अ.नि.क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 194 में अंकित खसरा नम्बर 1225/125 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ कुल खसरे 01 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। डिक्री मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 06/02/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

(Track on www.indiapost.gov.in)

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

पत्र संख्या 12 / 2024

दायर तारीख 23.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

बनाम् ....डिक्रीदार

रमेशकुमार पुत्र गोवर्धनलाल जाति अग्रवाल निवासी केशोराय पाटन जिला बन्दी

.........मदयून

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता डिक्रीदार
2. एक पक्षीय कार्यवाही – अधिवक्ता मदयून।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 06/02/2025

डिक्री दिनांक 06/02/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम नयानगर पटवार मण्डल नयानगर भू.अ.नि.क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 194 में अंकित खसरा नम्बर 1225 / 125 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर भूमि किस्म बंजड़ कुल खसरे 01 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब की गई।

नीज ....Nil...........................मुबलिग .... Nil .... बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 02 वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

लगातार पेज संख्या 02 पर

पेज संख्या 02

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा